

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


## सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र सं	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	बाबूराम	चांदेरा सिकराय -दौसा	इतिहास	23.01.1958	31.01.2018
2	बजरंग लाल चौधरी	बडली, चाकसू-जयपुर	इतिहास	02.01.1958	31.01.2018
3	गोपाल लाल मोडा	रडी-के. पाटन-बूंदी	इतिहास	10.02.1958	28.02.2018
4	हरीराम रेगर	चाडवास-चूरु	वाणिज्य	15.03.1958	31.03.2018
5	हितेश बाला शर्मा	सरनावडा -नागौर	इतिहास	06.01.1958	31.01.2018
6	मोहनाराम डारा	बागोट- नागौर	इतिहास	02.02.1958	28.02.2018
7	मदनलाल शर्मा	गुढा कटला - दौसा	वाणिज्य	13.03.1958	31.03.2018
8	रामकरण मीणा	कालाखोह अम्बाडी-दौसा	इतिहास	01.02.1958	31.01.2018
9	रमेश चन्द्र चास्टा	भट्टो का बामनिया-चित्तौड़गढ़	इतिहास	05.02.1958	28.02.2018
10	श्यामलाल गुप्ता	वा. मलारना, डूंगर-सवाईमाधोपुर	इतिहास	27.03.1958	31.03.2018
11	सुनिल कुमार माथुर	कुचामनसिटी-नागौर	वाणिज्य	05.01.1958	31.01.2018
12	हनुमान प्रसाद स्वामी	साहवा-तारानगर-चूरु	वाणिज्य	31.01.1958	31.01.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-  
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई  
विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।  
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की  
कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।  
कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक-24.01.18

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2017-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर